न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :— **55/2024** GCMS 2024/99

वादी :—

1. चेनाराम पुत्र आयदानराम जाति नायक उम्र 30 वर्ष निवासी भदलिया, तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. अनिता पुत्री राजुराम
2. डालीदेवी पत्नि राजुराम
3. बंटी पुत्र राजुराम
4. सुनिता पुत्र राजुराम
5. अमरचन्द पुत्र नंदाराम
6. गीता देवी पत्नि नंदाराम
7. चांदमल पुत्र नंदाराम
8. मंजु देवी पुत्री नंदाराम
9. सीताराम पुत्र नंदाराम
10. खेमाराम पुत्र किशोरराम
11. तुलछी पुत्र किशोरराम
12. देवली पुत्र किशोरराम
13. पुनम पुत्री किशोरराम
14. भोमाराम पुत्र किशोरराम
15. भोली पत्नि किशोरराम
16. सुरजाराम पुत्र किशोरराम
17. दुर्गादेवी पुत्री केशाराम
18. प्रेमाराम पुत्र केशाराम
19. पार्वती पुत्री केशाराम
20. बुधाराम पुत्र केशाराम
21. संतोष देवी पुत्री केशाराम
22. सरजी देवी पुत्री केशाराम
23. भंवरी देवी पुत्री केशाराम
24. पांची देवी पत्नि कैलाश
25. पायल पुत्री कैलाश
26. सुरज्ञान पुत्री कैलाश जाति बावरी निवासीयान चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना—कुचामन राज.
27. शंकरलाल पुत्र भुराराम जाति [illegible] निवासीयान चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना—कुचामन राज.
28. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा— बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :— श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रति. 16 की ओर से।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दिनॉक :– 18/03/2025

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/2590 दिनॉक 16.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 22.11.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस पर एवं वाद पत्र में दिनॉक 0409.2024 को जारी प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

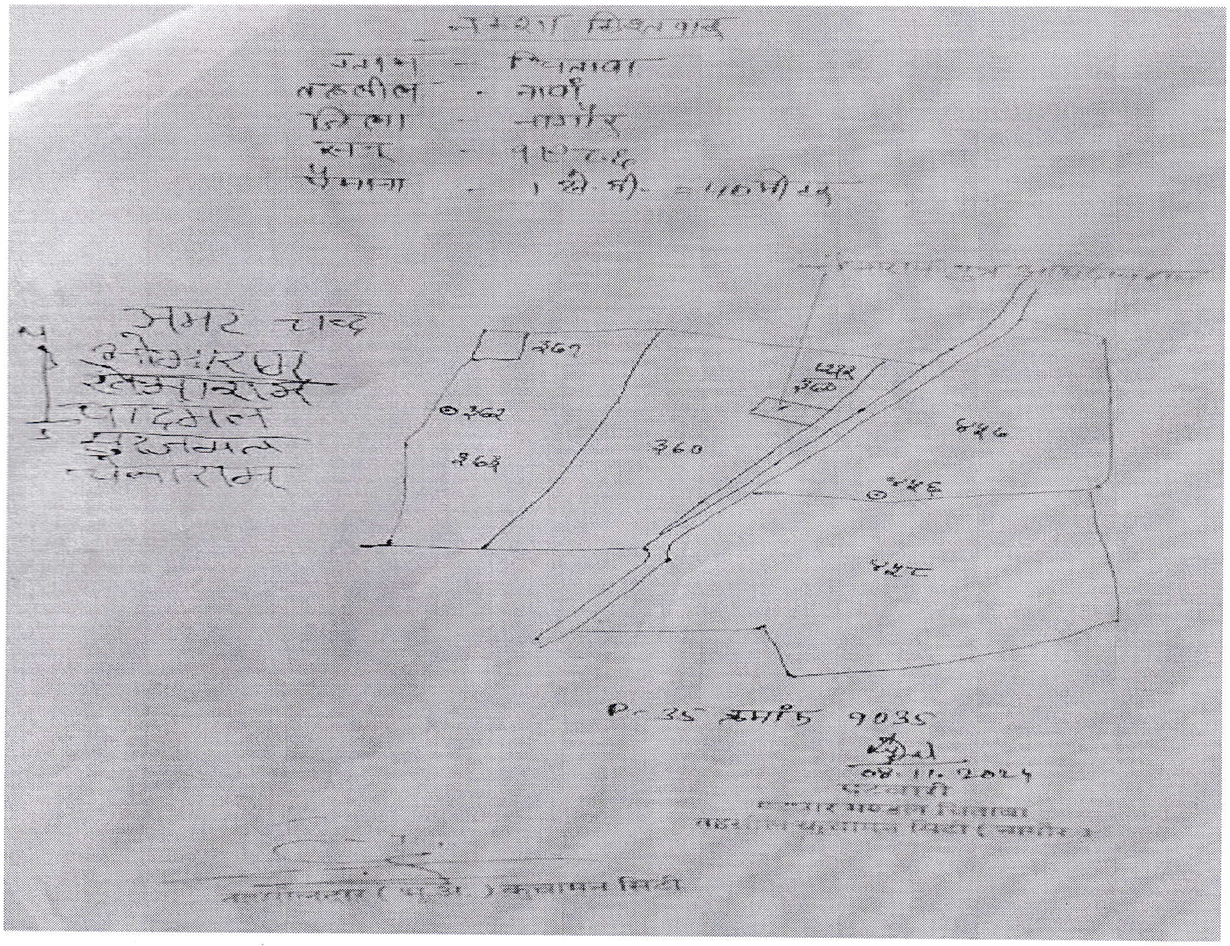

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान/खातेदारान व [illegible] ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा [illegible] नजरी नक्शा अनुसार ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा [illegible] खसरा नम्बर 370 रकबा 2.42 हैक्टर मे 370/1 रकबा 0.06 हैक्टर एवं 370/2 रकबा [illegible]36 हैक्टर में से 2/236 पर वादी का कब्जा काश्त है तथा 0.08 हैक्टर भूमि वादी के कब्जे काश्त में है शेष भूमि पर अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। पक्षकारान मौके पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 370 रकबा 2.42 हैक्टर मे 370/1 रकबा 0.06 हैक्टर एवं 370/2 रकबा 2.36 हैक्टर में से 2/236 अर्थात कुल रकबा 0.08 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष रकबा भूमि में प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन विवरण अनुसार प्रतिवादीगण का हक हिस्सा रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 22.11.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 18/03/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **55/2024** GCMS 2024/99

वादी :–

1. चेनाराम पुत्र आयदानराम जाति नायक उम्र 30 वर्ष निवासी भदलिया, तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अनिता पुत्री राजुराम
2. डालीदेवी पत्नि राजुराम
3. बंटी पुत्र राजुराम
4. सुनिता पुत्र राजुराम
5. अमरचन्द पुत्र नंदाराम
6. गीता देवी पत्नि नंदाराम
7. चांदमल पुत्र नंदाराम
8. मंजु देवी पुत्री नंदाराम
9. सीताराम पुत्र नंदाराम
10. खेमाराम पुत्र किशोरराम
11. तुलछी पुत्र किशोरराम
12. देवली पुत्र किशोरराम
13. पुनम पुत्री किशोरराम
14. भोमाराम पुत्र किशोरराम
15. भोली पत्नि किशोरराम
16. सुरजाराम पुत्र किशोरराम
17. दुर्गादेवी पुत्री केशाराम
18. प्रेमाराम पुत्र केशाराम
19. पार्वती पुत्री केशाराम
20. बुधाराम पुत्र केशाराम
21. संतोष देवी पुत्री केशाराम
22. सरजी देवी पुत्री केशाराम
23. भंवरी देवी पुत्री केशाराम
24. पांची देवी पत्नि कैलाश
25. पायल पुत्री कैलाश
26. सुरज्ञान पुत्री कैलाश जाति बावरी निवासीयान चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
27. शंकरलाल पुत्र भुराराम जाति मेघवाल [illegible] चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
28. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा– बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:31 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 370 रकबा 2.42 हैक्टर मे 370/1 रकबा 0.06 हैक्टर एवं 370/2 रकबा 2.36 हैक्टर में से 2/236 अर्थात कुल रकबा 0.08 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष रकबा भूमि में प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन विवरण अनुसार प्रतिवादीगण का हक हिस्सा रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 22.11.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:46:31 IST
Reason: SelfAttested